PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi
Friday 25th December 2015, Page: 11
Width: 8.47 cms, Height: 7.37 cms, a4, Ref: pmin.2015-12-25.60.65

जरूरी दवाओं में कैंसर, एचआईवी की दवाएं शामिल

नई दिल्ली, (भाषा): सरकार ने जरूरी दवाओं की सूची में 106 दवाएं शामिल की हैं जिनमें कैंसर, एचआईवी (एड्स) तथा हेपेटाइटिस सी की दवा शामिल हैं। अब इस सूची में शामिल दवाओं की संख्या 376 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित कोर कमेटी ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची-2011 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 106 दवाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जबकि 70 को हटाया गया है। पूरे देश में विचार-विमर्श तथा बैठकों के बाद यह संशोधन किया गया है। मंत्रालय के एक नोटिस में आज कहा गया, 'राष्ट्रीय सूची-2011 में कुल 348 दवाएं शामिल थीं। 2015 की सूची को तैयार करने के लिए 106 दवाओं को जोड़ा गया और 70 दवाओं को हटाया गया। अब इस सूची में कुल दवाओं की संख्या 376 हो गई है।' जरूरी दवाएं वे होती हैं जो लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जरूरतों की पूर्ति करती हैं। समिति ने सिफारिश की है कि इस सूची को हर तीन साल पर संशोधित किया जाए।

Cancer, HIV drugs included in NLEM.

Policy